

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2203/बदायूँ/23705/2017, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 19, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : बदायूँ में मेरठ-बदायूँ मार्ग (एस0एच0-18) किमी0 163.000 से 208.400 तक (किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक) 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10647 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/53/2017/एफसी/739, दि0 02.01.2018, महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा दिनांक 28.12.2017 को हुयी क्षेत्रीय सशक्त समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में कतिपय सूचनायें व अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में वन संरक्षक, बरेली के पत्रांक-2551/14-1, दिनांक 17.01.2018 द्वारा बिन्दुवार सूचनायें व अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2203 / , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 3- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।